HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com

Letter No.: UKPCB/HO/Gen-183-772/2024/416 **Date: 29.06.2024**

BY E-MAIL

To,

The Registrar General
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
Email: judicial-ngt@gov.in

Sub.: Inspection Report of Joint Committee in the matter of Original Application No. 225 of 2024 titled as "Khildev Singh Rawat Vs. State of Uttarakhand & Ors." - reg.

Sir,

Kindly refer to the order dated 09.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of **Original Application No. 225 of 2024** titled as **"Khildev Singh Rawat Versus State of Uttarakhand & Ors."** In Compliance of order passed by the Hon'ble NGT, please find enclosed herewith Inspection Report of Joint Committee in the aforesaid matter.

You are requested to kindly take inspection report into record and place before the Hon'ble Tribunal for kind consideration please.

Encl.: As above.

Sincerely Yours'

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Copy to:

1. Shri Mukesh Verma, Advocate & Counsel for Uttarakhand Pollution Control Board for information and necessary action, please.
2. Additional Secretary, Department of Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand for information, please.
3. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Dehradun for information please.

Member Secretary

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–225/2024 **Khildev Singh Rawat Vs. State of Uttarakhand & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–225/2024 Khildev Singh Rawat Vs. State of Uttarakhand & Ors. में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2024 में प्रकरण नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, चमोली द्वारा कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग के मोवाणी गधेरे पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. जिलाधिकारी, चमोली।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
3. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली
2. डा0 विपिन गुप्ता, वैज्ञानिक–सी0
3. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

दिनांक 14.06.2024 को निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत् स्थल पर नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण सुविधा प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्रांक संख्या–681/छब्बीस–16 (2021–22) गोपेश्वर दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के लिये ग्राम डिम्मत रा0उ0नि0 क्षेत्र सिमली की ख0खासं0–46 के खसरा सं0–1342 रकवा 5.504 है0 भूमि मध्ये 0.400 है भूमि इस निकाय के नाम स्वीकृति प्रदान की गई है। (संलग्नक)
- भूमि के निर्देशांक– अक्षांश – 30.253721
देशान्तर – 79.235800
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के मानकोनुसार चयनित भूमि का विवरण –

S.N.	Criteria	Criteria Distance	Available Distance and Direction from proposed SLF site
1.	Distance from nearest River	100 meters	Pinder River 0.14 km in S direction Alaknanda River-2.2 km in NNW directin
2.	Distance from nearest pond	200 meter	No pond near site
3.	Flood Plain	No landfill shall be contructed within a 100-year flood plain	None
4.	Distance from nearest Highway (NH)	200 meters	NH 109-0.2 km in S direction Badrinath Highway NH-7-1.6 km in NNW direction
5.	Distance from nearest habitation	200 meters	Tauli Daduli Village-0.35 km in S Direction
6.	Distance from nearest Public Parks	200 meters	No park available
7.	Distance from nearest water supply wells	200 meters	No water supply well available
8.	Critical Habitat Area	No landfill within the Critical habitat area. It is defined as the area in which 1 or more endangered species live.	No critical habitat exists in study area.

R.K.

9.	Distance from nearest Air Strip/ Airports/Airbase	10 km/ 20 km	Gauchar Airstrip 7.50 km in WNW direction
10.	Coastal Regulation Zone (CRZ)	Should no be sited	Not applicable

- निकाय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रांक संख्या– 1119/विविध/न0पा0क0/2022–2023 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा निविदा प्रकाशित की गई। जिसमें JBB Technocrat Pvt. Ltd. की निविदा की धनराशि न्यूनतम रू0 8.50 लाख होने पर स्वीकृत की गयी। निकाय द्वारा अपने पत्र संख्या–08/न0पा0परि0/निर्माण कार्यादेश/2023–24/कर्णप्रयाग/दिनांक 03 अप्रैल 2023 को कार्यादेश जारी किया गया। (संलग्न)
- नगर पालिका के अनुसार JBB Technocrat Pvt. Ltd. फर्मा द्वारा योजना के निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की जांच हेतु समीपस्थ क्षेत्रों में मृदा परीक्षण/वायु परीक्षण/जल परीक्षण एवं ध्वनि परीक्षण किया गया। माह अगस्त 2023 में निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना स्थल का राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात् निकाय को Term of Reference (TOR) जारी कर दिया गया। निकाय द्वारा फर्म को आतिथि तक रूपये 3.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। फर्म द्वारा जन सुनवाई हेतु ड्राफ्ट EIA उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कर दिया गया है।
- निकाय द्वारा परियोजना स्थल पर 95 पेड़ों के कटान की अनुमति हेतु वन विभाग से भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन (EIA) की स्वीकृति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 95 पेड़ों की कटान की स्वीकृति के उपरान्त परियोजना स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- वर्तमान में सचांलित पंचपुलिया के निकट स्थित डंम्पिंग जोन की भूमि का हस्तांतरण किये जाने का मामला उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में वाद संख्या–595/35/3/2019 लंबित है। जिसमें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग को आगामी 04 जुलाई, 2024 को कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। (संलग्न)
- प्रस्तावित स्थल दूरी सम्बन्धी मानकों में से Air Strip के अतिरिक्त सभी मानकों को पूर्ण करता है। गौचर स्थित Air Strip की हवाई दूरी 7.5 किमी0 है, जिस हेत अनापत्ति के लिये नगर पालिका द्वारा Air Strip Authority को पत्र प्रेषित किया गया।
- प्रस्तावित स्थल की बाउंड्रीवॉल से एक बरसाती नाला दृष्टिगोचर है।
- प्रस्तावित स्थल से 200 मीटर की परिधि में कोई मन्दिर नहीं है। परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल में सड़क मार्ग से धार्मिक यात्रा निकलती है। उक्त के समबन्ध में नगर पालिका द्वारा 04 मीटर ऊंचाई की जी0आई0 फेन्सिंग वॉल प्रस्तावित की गयी है।
- वर्तमान तक प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

वर्तमान में नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग से 2.5 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है, जिसका निस्तारण पंचपुलिया अलकनंदा नदी के किनारे किया जा रहा है, जिसे अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार निस्तारित किया जाना आवश्यक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल Air Strip की दूरी के अतिरिक्त सभी मानकों को पूर्ण करता है।

(सुधा डोभाल) तहसीलदार, कर्णप्रयाग चमोली तहसीलदार कर्णप्रयाग	(डा0 विपिन गुप्ता) वैज्ञानिक–सी0 पर्या0, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून

Latitude: 30.253559
Longitude: 79.235674
Elevation: 953.16±4.07 m
Accuracy: 4.41 m
Time: 14-06-2024 13:49:48
Note: MSW site karnprayag 1

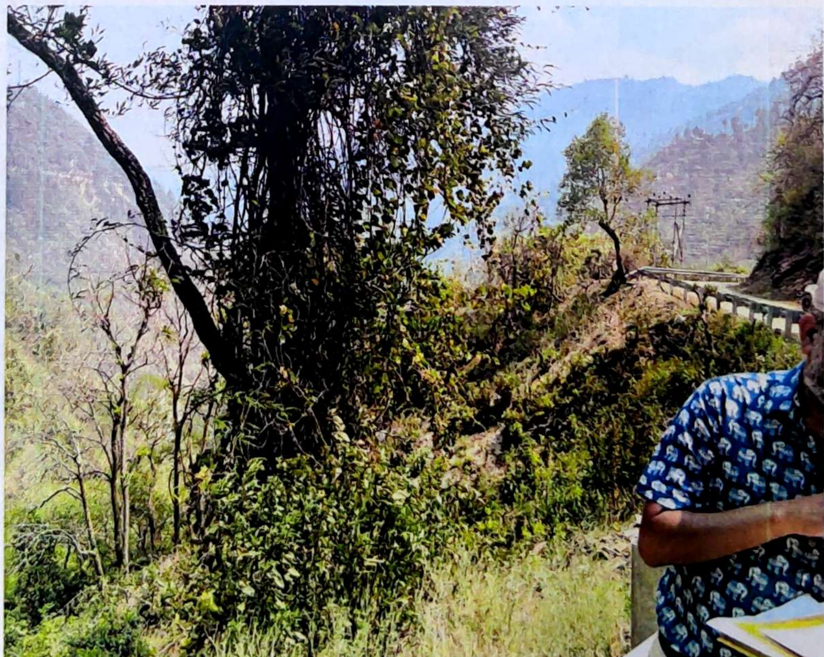

कार्यालय नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग
संख्या 1205
दिनांक 26-3-24

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग

प्लाॅट सं0 ए0-8, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून
, पिन कोड:248001
टेलीफोन: 01352608444, फैक्स:
ईमेल: uttarakhand-hrc@uk.gov.in, वेबसाइट: http://ukhrc.org

नोटिस

Case No. 595/35/3/2019

Date:05/03/2024

853 दि0 07.03.24

सेवा में,

EXECUTIVE OFFICER NAGAR PALIKA
PARISAD KARANPRAYAG CHAMOLI PIN 246444

अवगत कराना है की SUO-MOTU से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 08/02/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :

षिकायतकर्ता श्री गुरदीप लाल, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिशद कर्णप्रयाग, चमोली एंव श्री पंकज कुमार सती, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर आयोग के समक्ष उपस्थित हैं। उनके द्वारा अधिषासी अभियन्ता, नगर पालिका परिशद कर्णप्रयाग चमोली की आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अंकित किया गया हैं कि "नगर पालिका परिशद कर्णप्रयाग के ठोस अपषिश्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण एंव ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु नवीन स्वीकृत भूमि कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग पर ग्राम डिम्मर रा030नि0 क्षेत्र सिमली की आंकलन(Environment Impact Assessment) की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें सम्बन्धित संस्था द्वारा TOR(Term of Reference) जारी किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत किया जाना है। षुल्क भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में फर्म (JBB Technocrat Pvt Ltd) का निकाय कार्यालय को दिनांक 24 जनवरी 2024 को पत्र प्राप्त हुआ। (छायाप्रति संलग्न) उत्तराखण्ड प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को जन सुनवाई हेतु निर्धारित षुल्क का डिमान्ड ड्राफट बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ठोस अपषिश्ट प्रबन्धन केन्द्र स्थल पर वृक्षों के होने के कारण भूमि सुधार/निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। जिस क्रम में निकाय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेष्वर को पत्रांक संख्या 642/न0पा0परि0/ठोस0अप0प्र0/ कार्यालय/दिनांक 03 अगस्त 2023 तथा वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रैंज को 891/ठोस अपषिश्ट केन्द्र/न0 पा0परि0कर्ण0/2022-23 दिनांक 20 सितम्बर 2023 के द्वारा वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध पत्र प्रेशित किये गये थे। जिसके क्रम में नवम्बर 2023 के द्वारा नवीन चयनित भूमि पर कुल 95 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिससे स्पश्ट है कि उक्त भूमि में पेडं के पातन की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिये जाने के उपरान्त ही सम्भव है। महोदय को सादर अवगत

पत्रावली
27/3/24

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग
देहरादून

वाद संख्या– 595/35/3/2019
शिकायतकर्ता–स्वतः संज्ञान

समक्षः राम सिंह मीना (सदस्य)
दिनांकः 8.02.2024

आदेश

शिकायतकर्ता श्री गुरदीप लाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, चमोली एंव श्री पंकज कुमार सती, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आयोग के समक्ष उपस्थित हैं।

उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग चमोली की आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अंकित किया गया हैं कि "नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत कूडा निस्तारण एंव ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु नवीन स्वीकृत भूमि कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग पर ग्राम डिम्मर रा0उ0नि0 क्षेत्र सिमली की आंकलन(Environment Impact Assessment) की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें सम्बन्धित संस्था द्वारा TOR(Term of Refernce) जारी किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत किया जाना है। शुल्क भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में फर्म(JBB Technocrat Pvt Ltd) का निकाय कार्यालय को दिनांक 24 जनवरी 2024 को पत्र प्राप्त हुआ। (छायाप्रति संलग्न) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जन सुनवाई हेतु निर्धारित शुल्क का डिमान्ड ड्राफट बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र स्थल पर वृक्षों के होने के कारण भूमि सुधार/निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। जिस कम में निकाय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को पत्रांक संख्या 642/न0पा0परि0/ ठोस0अप0प्र0/ कार्यालय/दिनांक 03 अगस्त 2023 तथा वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रैंज को 891/ठोस अपशिष्ट केन्द्र/न0 पा0परि0कर्ण0/2022–23 दिनांक 20 सितम्बर 2023 के द्वारा वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध पत्र प्रेषित किये गये थे। जिसके कम में नवम्बर 2023 के द्वारा नवीन चयनित भूमि पर कुल 95 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में पेडं के पातन की अनुमति वन

संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिये जाने के उपरान्त ही सम्भव है।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि निकाय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन **(Enviornmental Impact Assessement)** की स्वीकृति तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरदून से वृक्षों के पातन की स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।"

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग आगामी दिनांक को कार्यो की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत करायेंगे।

पत्रावली 04.07.2024 को प्रस्तुत हो।

(राम सिंह मीना)

सदस्य

स्थान: प्लॉट सं–ए0–8,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

प्रतिभा

20

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI / DEHRADUN
THURSDAY, MAY 30, 2019

Garbage piles polluting roads to Badri shrine

Dark Smoke From Burning Dumps Welcomes Pilgrims

Sukanta.Mukherjee@timesgroup.com

Karnaprayag: Pilgrims going to the Badrinath shrine are encountering what are certainly not pleasant sights.

Heaps of garbage can be found burning in open dumping grounds at quite a few places on the route to Badrinath, most significantly at Karnaprayag, where dark smoke contaminating the air welcomes the pilgrims.

> **Immediate steps should be taken to curb this air and river pollution. The situation needs to be constantly monitored**
>
> ANIL JOSHI
> Environmentalist

Sukanta Mukherjee

The burning garbage piles are not only covering the hills with black smoke but also polluting Alaknanda river, a source stream of the Ganga

The burning garbage piles are not only causing air pollution, but also polluting the Alaknanda river, a source stream of river Ganga.

Commenting on the issue, Anil Joshi, Doon-based environmentalist, told TOI that immediate steps should be taken to curb this air and river pollution. "Pilgrims must be refrained from taking plastic materials or polythene bags to the temple. The situation should also be constantly monitored by the authorities," he added.

STATE OF WASTE

Notably, this open dumping of garbage and its burning is happening despite a National Green Tribunal (NGT) order, which mandates imposing a fine of Rs 25,000 on people who set garbage on fire.

Pilgrims meanwhile say that such blatant polluting acts, which are severely damaging the pristine natural environment of the Himalayas, are causing them much distress.

Narrating the experience of her journey to Badrinath shrine, Anita Sharma, a pilgrim from Bareilly, told TOI, "After crossing Rudraprayag, we (the pilgrims) came across many spots where garbage piles were burning. The black smoke from the piles had almost covered the sky and the stench was horrible. One does not expect to see such sights in the Himalayas where people go expecting to see natural beauty."

When asked to comment on the issue, Surendra Singh Negi, Karnaprayag MLA, told TOI, "We are aware of the situation. Due to lack of space, we don't have any dumping zones as yet. We have discussed the issue with the nagar palika parishad and are working to find a technological solution to the entire issue."

NAGAR PALIKA PARISHAD, KARANPRAYAG
(CHAMOLI)
PHONE NO. 01363244084 E-MAIL ID – karanprayagnp@gmail.com

पत्रांक 170/ न0पा0प0 कर्ण0/2024–25/ दिनांक 18 जून 2024

सेवा में,

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
E-115, नेहरू कॉलोनी
देहरादून, उत्तराखंड 248001

विषय: मूल आवेदन संख्या 225/2024 खिलदेव सिंह रावत बनाम में माननीय एनजीटी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा डिम्मर रोड, खाता खतौनी संख्या 46, खसरा संख्या 1342, तहसील कर्णप्रयाग, चमोली जिले, उत्तराखंड में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल के लिए उत्तराखंड राज्य और अन्य।

महोदय,

नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा डिम्मर रोड, खाता खतौनी संख्या 46, खसरा संख्या 1342, तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली, उत्तराखंड में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल के लिए साइट चयन के संबंध में विवरण के लिए प्राप्त अनुरोध पर हम निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहेंगे:

प्रश्न 1 परियोजना प्रस्तावक को एएआई से एनओसी प्राप्त करनी चाहिए। गौचर हवाई पट्टी, जो प्रस्तावित परियोजना स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में 7.5 किमी हवाई दूरी पर स्थित है।

हमने पत्र संख्या के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है। 168/एनपीपी केपीजी/एनओसी/2024-2025 दिनांक 15/06/2023। पत्र अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

प्रश्न 2 स्थल पर पेड़ों की उपस्थिति के बारे में स्पष्टता/एनओसी।

हमने भूमि पर मौजूद वनस्पति का विस्तृत अध्ययन किया है, हमने वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है। इसके लिए पत्र अनुबंध II के रूप में संलग्न है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग-चमोली

NAGAR PALIKA PARISHAD, KARANPRAYAG
(CHAMOLI)
PHONE NO. 01363244084 E-MAIL ID – karanprayagnp@gmail.com

9	Distance from nearest Airports/Airbase	20 km	Gauchar Airstrip 7.50 km in WNW direction
10	Coastal Regulation Zone (CRZ)	Should not be sited	Not applicable

प्रश्न 5: स्थल के पास शिव मंदिर या कोई अन्य मंदिर है। इसके लिए स्पष्टता दें.

प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास कोई मंदिर नहीं है। हालाँकि, स्थल के पास से गुजरने वाली सड़क का उपयोग कई तीर्थ गतिविधियों के लिए किया जाता है जैसे कि श्री बद्रीनाथ भगवान गाडू घड़ा का अवलोकन किया जाता है। इन गतिविधियों में कोई व्यवधान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे:

अ: परियोजना की पूरी परिधि में 04 मीटर ऊंची जीआई शीट की बाड़ लगाई जाएगी।

ब: सेनेटरी लेंडफिल साइट पर कचरे के परिवहन के लिए ढके हुए ट्रकों का उपयोग किया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक पहुंच मार्ग पर कोई कचरा न हो।

आपके विचारार्थ प्रस्तुत।

धन्यवाद

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग– चमोली।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग-चमोली

NAGAR PALIKA PARISHAD, KARANPRAYAG
(CHAMOLI)
PHONE NO. 01363244084 E-MAIL ID – karanprayagnp@gmail.com

SITE SELECTION CRITERIA OF THE PROPOSED SITE

S.N.	Criteria	Criteria distance	Available distance and direction from proposed SLF site
1	Distance from nearest River	100 meters	Pindar River 0.14 km in S direction Alaknanda River – 2.2 km in NNW direction
2	Distance from Nearest Pond	200 meter	No pond near site
3	Flood Plain	No landfill shall be constructed within a 100-year flood plain	None
4	Distance from nearest Highway (NH)	200 meters	NH 109- 0.2 km in S direction Badrinath Highway/NH-7 – 1.6 km in NNW direction
5	Distance from nearest habitation	200 meters	Tauli Daduli village -0.35 km in S direction
6	Distance from nearest Public Parks	200 meters	Not available
7	Distance from nearest Water supply wells	200 meters	No supply
8	Critical HabitatArea	No landfill within the Critical habitat area. It is defined as the area in which 1 or more endangered species live.	No critical habitat exists in study area.

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग-चमोली

NAGAR PALIKA PARISHAD, KARANPRAYAG
(CHAMOLI)
PHONE NO. 01363244084 E-MAIL ID – karanprayagnp@gmail.com

प्रश्न 3 प्रस्तावित परियोजना स्थल के पास सूखा नाला देखा गया। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना स्थल के संबंध में शमन उपाय प्रस्तुत करने चाहिए।

प्रस्तावित परियोजना गतिविधि के कारण प्रस्तावित परियोजना स्थल के पास से गुजरने वाले सूखे नाले को परेशान नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित शमन उपाय प्रस्तावित हैं:

अः परियोजना स्थल पर किसी भी प्रकार के अतिप्रवाह को रोकने के लिए चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा।

बः किसी भी दिशा में पानी के बहाव को रोकने के लिए चारदीवारी के दोनों ओर तूफानी जल चैनल की व्यवस्था की जाएगी।

सः परियोजना स्थल के अंदर तूफानी जल चैनल के अलावा जल धारण टैंक के अलावा सिल्टेशन/स्क्रीनिंग चैंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न 4 परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट पर्यावरण संवेदनशील स्थानों का विस्तृत मूल्यांकन किमीएल प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए (एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के अनुसार सेनेटरी लैंडफिल के लिए साइट चयन मानदंड पर विचार करते हुए)।

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के अनुसार, चयनित साइट सभी साइट चयन मानदंडों को पूरा कर रही है। नगर पालिका परिषद के अनुसार सरकार ने आसान पहुंचए पहुंचए कचरे के परिवहन आदि के आधार पर चयनित साइट को उपयुक्त पाया। एसईएसी के अध्यक्ष ने टीओआर पत्र संख्या 320/एसईआईएए दिनांक 29 अगस्त 2024 को जारी होने से पहले भी साइट का दौरा किया है। साइट चयन मानदंड दिखाने वाली तालिका नीचे दी गई है और दूरी के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्थान को चिह्नित करने वाला एक विस्तृत किमीएल अनुलग्नक III के रूप में संलग्न है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग-चमोली

– आदेश –

अपर सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0–R-2-18/18.1/14/2022-XVIII-A-2-Revenue Department (Computer NO.30632) दिनांक 23 जून 2022, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण एवं ट्रैंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु ग्राम डिम्मर, रा0उ0नि0 क्षेत्र सिमली की ख0खा0सं0–46 के खसरा सं0–1342 में प्रस्तावित भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि ढंगार के रूप में दर्ज अभिलेख है, को शासनादेश सं0–496/XVIII(II)/2020–8 (63) /2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के बिन्दु सं0–3(1) में निहित व्यवस्थानुसार शहरी विकास विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तर पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतएव अपर सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0–R-2-18/18.1/14/2022-XVIII-A-2-Revenue Department (Computer NO. 30632) दिनांक 23 जून 2022 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार इस कार्यालय के आदेश सं0–5692/छब्बीस–16 (2021–2022) दिनांक 01 जून 2022 को संशोधित करते हुए जनपद चमोली के नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण एवं ट्रैंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु ग्राम डिम्मर, रा0उ0नि0 क्षेत्र सिमली की ख0खा0सं0–46 के खसरा सं0–1342 रकवा 5.504 है0 भूमि मध्ये 0.400 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि ढंगार के रूप में दर्ज अभिलेख है, को शहरी विकास विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 681/छब्बीस– 16 (2021–22) गोपेश्वर: दिनांक: 24 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
6. उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।
7. अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 25-11-2022 13:03:01

(हिमांशु खुराना)
जिलाधिकारी,
चमोली।

नॉन जेड ए खतौनी

ग्राम :– डिम्मर रा0उ0नि0 क्षेत्र:– सिमली तहसील:– कर्णप्रयाग जिला:– चमोली

श्रेणी 10(4) → अन्य कारणों से अकृषिक भूमि

1	2	3	4	5	6 से 13
46	ढुंगार उत्तराखण्ड सरकार		1329 1341 1342 x x x x 3943 4099 x x x x 4324 4325 4544 4546 4569	15.176 3.831 5.504 x x x x x x 1.108 1.248 x x x x x x 2.269 2.773 1.553 1.954 0.031	आदेश मु०आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्र सं० 681/दुव्वीस-16 (2021-22) गोपेश्वर: 24 नवम्बर 2022 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश सं. 5692/दुव्वीस-16 (2021-22) दिनांक 01 जून 2022 को संशोधित करते हुए जनपद चमोली के नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण एवं ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु ग्राम डिम्मर की ख० खा० सं० 46 के खसरा नं० 1342 रकबा 5.504 है० भूमि में से 0.400 है० भूमि जो कि NZA श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि ढुंगार के रूप में दर्ज अभिलेख है, को शहरी विकास विभाग के नाम हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, अतः तदनुसार अमल दरामद किया।
	योग	टोग	47	64.638 है०	

नकल नॉन जेड ए खतौनी असल से तैयार किया।

राजस्व निरीक्षक तह0 कर्णप्रयाग जि0–चमोली उत्तराखण्ड 18/01/23

ह० 18/01/23 रा०उ०नि० सिमली

7(i): STANDARD TERMS OF REFERENCE FOR CONDUCTING ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT STUDY FOR COMMON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITY (CMSWMF) AND INFORMATION TO BE INCLUDED IN EIA/EMP REPORT

1) The project should be designed based on the population projections as by Master Plan.
2) Submit a 10 km. radius map (on survey of India toposheet) showing co-ordinates of project site, national highway, state highway, district road/approach road, river, canal, natural drainage; protected areas, under Wild Life (Protection) Act, archaeological site, natural lake, flood area, human settlements (with population), industries, high tension electric line, prominent wind direction (summer and winter), effluent drain, if any and ponds etc. should be presented and impacts assessed on the same.
3) Examine and submit details of alternative technologies viz. RDF shall also be evolved.
4) Examine and submit details of storm water/ leachate collection from the composted area.
5) Examine and submit details of monitoring of water quality around the landfill site. Water analysis shall also include for nitrate and phosphate.
6) Examine and submit details of the odour control measures.
7) Examine and submit details of impact on water bodies/rivers/ ponds and mitigative measures during rainy season.
8) Submit the criteria for assessing waste generation. Any segregation of hazardous and bio-medical wastes.
9) Submit a copy of the layout plan of project site showing solid waste storage, green belt (width & length, 33% of the project area), all roads, prominent wind direction, processing plant & buildings etc. should be provided.
10) Submit a copy of the land use certificate from the competent authority.
11) NOC from local or nearest airport within 20 km and any flight funnel restrictions.
12) Submit a copy of the status of ambient air quality and surface and ground water quality, soil type, cropping pattern, land use pattern, population, socio-economic status, anticipated air and water pollution.
13) Submit a copy of the topography of the area indicating whether the site requires any filling, if so, the details of filling, quantity of fill material required, its source and transportation, etc.
14) Examine and submit the details of impact on the drainage and nearby habitats/settlements (surroundings).
15) Examine and submit the details of surface hydrology and water regime and impact on the same.
16) Examine and submit the details of one complete season AAQ data (except monsoon) with the dates of monitoring, impact of the project on the AAQ of the area (including H2S, CH4).
17) Submit a copy of detailed plan of waste management.
18) Submit the details of sanitary land fill site impermeability and whether it would be lined, if so details thereof.
19) Examine and submit the details of impact on environmental sensitive areas.
20) Examine and submit the details of rehabilitation/compensation package for the project effected people, if any.
21) Submit Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan with costs and parameters.
22) Public hearing to be conducted for the project in accordance with provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and the issues raised by the public should be addressed in the Environmental Management Plan. The Public Hearing should be conducted based on the ToR letter issued by the Ministry and not on the basis of Minutes of the Meeting available on the web-site.
23) A detailed draft EIA/EMP report should be prepared in accordance with the above additional TOR and should be submitted to the Ministry in accordance with the Notification.
24) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of
25) Law against the Project should be given.
26) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards implementation of EMP should be clearly spelt out.
27) Any further clarification on carrying out the above studies including anticipated impacts due to the project and mitigative measure, project proponent can refer to the model ToR available on Ministry website "http://moef.nic.in/Manual/Common Municipal Solid Wastes".

-----------------------x-----------------------x-----------------------

From

Executive Engineer
Irrigation Division Tharali,
Chamoli.

To

Executive Officer
Nagar Palika Parishad
Karanprayag Chamoli- District (Uttarakhand)

Letter no:- 371 /Karanprayag /Date:- 19/07/23
Subject: No objection Certificate for the establishment of the proposed Sanitary Landfill site.

Dear Sir,

As per your request letter for the proposed Sanitary Landfill at tehsil Karanprayag, Chamoli district, Uttarakhand in an area of 4,362 sq.m. As mentioned as per the EPA act you required the Environmental Clearance for the same.

We hereby certify No objection certificate for development of your proposed sanitary landfill project. The Nagar Palika Parishad Karanprayag should take all mitigation measures so that there **shall not be any impact to the nearby rivers available near the project site like Pinder River and Alaknanda River.**

Warm Regards

(R.K. Choudhary)
Executive Engineer
Irrigation Division Tharali,
Chamoli

Letter no:- /karanprayag /Date:-
Copy of the following for necessary action:-

1- Assistant Engineer Sub Div-Karanprayag

(R.K. Choudhary)
Executive Engineer
Irrigation Division Tharali,
Chamoli

M.S
The Regional Officer
Uttarakhand Pollution Control Board
Dehradun (Uttarakhand)

Dated 26.02.2024

Sub: Submission of Demand Draft for Public Hearing of Environmental Clearance for the Sanitary Landfill at village Dimmar, Chamoli district, Karanprayag Uttarakhand by Nagar Palika Parishad, Karanprayag.

Dear Sir,

We proposed to develop Sanitary Landfill at village Dimmar, Chamoli district, Karanprayag Uttarakhand in an area of 4,362 sq.m/ 0.4 ha. Please find attached the Demand Draft to be processed for Environmental Clearance.

1. We request your good office to acknowledge the above-mentioned document and start the process for Environmental Clearance for develop Sanitary Landfill.
2. DD Machine bearing No. 000124 Dt. 21.02.2024 Drawn on Uttarakhand Gramin Bank is enclosed herewith as your fees.

We may request your honour to process our proposal for environment clearance at an early date

Thanking You

Yours faithfully,
Nagar Palika Parishad, Karanprayag

Authorized Signatory

Encl: As Above

Encl: copy of Executive Summary (Hindi) with CD

27/2/24

NAGAR PALIKA PARISHAD, KARANPRAYAG (CHAMOLI)

PHONE NO. 01363244084 E-MAIL ID – karanprayagnp@gmail.com

REF NO 168 / NPP KPG / NOC / 2024-2025 / DATE 15 JUNE 2023

To,

Airport Authority of India
Airport Road, Dehradun,
Uttarakhand (Pin Code : 248140)

Sub : No Objection Certificate for the establishment of the Proposed Sanitary Landfill at Dimmer Road, Khata khatoni no 46, Khasra no 1342, Tehsil Karanprayag, Chamoli district, Uttarakhand by Nagar Palika Parishad, Karanprayag.

Dear Sir,

We proposed to develop Sanitary Landfill at Dimmer Road, Khata khatoni no 46, Khasra no 1342, Tehsil Karanprayag, Chamoli district, Uttarakhand in an area of 0.40 ha. As per the EPA act we required the Environmental Clearance for the same. The State Expert Appraisal Committee Dehradun, Uttarakhand asked us to take the NOC from AAI as there is presence of the Gauchar Airstrip which is 7.5 km in WNW direction. As per SWM rules 2016 distance from nearest Airports/Airbase should be 20 km.

We would like to submit that there will be no construction of any building/towers. Hence, we request you to provide us the No Objection Certificate which we require for taking the environment clearance for from SEAC, Dehradun, Uttarakhand.

Yours faithfully

EXECUTIVE OFFICER
Nagar Palika Parishad
Karanprayag (CHAMOLI)

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email : dfo badrinath ... Phone No 01372 252175

पत्रांक 2509 / 23-1 गोपेश्वर, दिनांक, 30 / 11 / 2023

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग।

विषय - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत चयनित नवीन भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने हेतु वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 642/न0पा0परि0/ठोस0अप0प्र0/कर्णप्रयाग दिनांक 03/08/2023 तथा वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज का पत्रांक 197/23 दिनांक 27/10/2023.

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे अवगत कराना है कि वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं ... पत्र सं0 1057 / ठोस अपशिष्ट / न0पा0प0कर्ण0/2022 23 दिनांक 30.10.2023 मे प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण एवं ट्रैंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु स्थल ग्राम ... के खसरा सं0 1343 में 0.400है0 मे कुल 25 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त भूमि वन स्वरूप है तथा भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिससे उक्त भूमि में पेड के पातन की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिये जाने के उपरान्त ही संभव है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विषयांकित प्रकरण के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे। भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भूमि में स्थित पेडो का पातन किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 2509 / 23-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, चमोली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 2509 / 23-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज, नन्दप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग का सहयोग करना सुनिश्चित करे।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

J.E

D:\Revenue\Other Letter 1 / 2023-24

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग – चमोली

सेवा में,

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

पत्रांक 1057/ठोस अपशिष्ट/न0पा0प0कर्ण0/2022–23/ दिनांक 30अक्तूबर 2023।

विषय **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत चयनित नवीन भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने हेतु वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के कम में सादर अवगत करना है, कि आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 696/23–1 दिनांक 03–08–2023 के द्वारा वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज को नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत कूडा निस्तारण एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड के ख0खा0सं0–46 के खसरा संख्या 1343 रकबा 5.504 है0 भूमि मध्ये 0.400 है0 भूमि में पडने वाले वृक्षो की गणना करने के सम्बन्ध में रिर्पोट आख्या चाही गई थी। जिसके कम में वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या 197/23 नन्दप्रयाग दिनांक 27–10–2023 के द्वारा आपको प्रेषित की गई है। **(छाया प्रति संलग्न)**

अतः महोदय से अनुरोध है, कि वृक्षो के पातन एवं क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत करने की कृपा करेगें।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
कर्णप्रयाग– चमोली।

एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–225 / 2024 **Khildev Singh Rawat Vs. State of ukhand & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 के अनुक्रम में दिनांक 14.06.2024, अपराहन 2:00 बजे संयुक्त निरीक्षण में उपस्थिति का विवरण।

नाम	पदनाम / विभाग	हस्ताक्षर
Dr. R.K. Chaturvedi	RO, UKPCB	
Surendra Kum	E.O N.P.P. Karanprayag	
Bijendra Singh Gusain	R.I. KPG (Tahsil KPG)	
Dr Vipin Gupta.	Scie/Dy Dr MoEFCC	
Dr. Krishna Singh Sajwan	Ast. Geologist	
Harish Chandra	J.E. N.P.P. Kpg	
Rakesh Kandari	AEE, UKPCB	
Jalam Rotizal	D.B.B. Techno	
Om Prakash Verma	AR/Tourism	
Sudha Dobhal	Tehsildar Karanprayag	
Khildev Rawat	President Kapini Vikas	
Rakesh Negi	Secretary	